

फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम


चित्तौड़गढ़ ( राज.)

तुलसीबाई

बनाम

शीलाबाई

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 196/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>तुलसीबाई</u>  <u>पुत्री</u> श्री <u>शीलाम लोहार</u></p> <p>निवासी- <u>बडौरिया</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम .....  <u>बडौरिया</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1689/761</u>  <u>1691/1762</u> <u>757</u>  <u>0.1900</u> <u>0.1300</u> <u>0.5300</u></p> <p>कुल कीता <u>3</u> कुल रकबा <u>0.8500</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>बडौरिया</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1689/761</u> <u>1691/762</u> <u>757</u>  <u>0.5300</u> <u>0.1900</u> <u>0.1300</u></p> <p>कुल कीता <u>3</u> रकबा <u>0.8500</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>800/-</u> रूपये अक्षर <u>आह</u> <u>ला</u> <u>रुपय</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>(रामचन्द्र खटीक)</b>  <b>सहायक कलेक्टर एवं</b>  <b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>चित्तौड़गढ़</b> </p>